जीआर मजीठिया से पहले जे.

बल्लू, अपीलकर्ता,

बनाम

पारसा और अन्य,-प्रतिवादी। 1978 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2051।

21, नवंबर, 1990.

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956—एस.एस. 4 और 13- प्रथागत अपनाना-निरस्त करना-अधिग्रहणअधिनियम का प्रभाव बताया गया- अलगाव को चुनौती देने का दत्तक पुत्र का अधिकार।

*आयोजित,*अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले लागू हिंदू कानून के हिस्से के रूप में किसी भी प्रथा या प्रथा का किसी भी मामले के संबंध में प्रभाव समाप्त हो गया है जिसके लिए अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर अध्याय II में प्रावधान किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में पुराना कानून ही लागू रहना चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, किसी भी प्रथागत गोद लेने के लिए कोई जगह नहीं है। अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के कारण पंजाब में गोद लेने का प्रथागत कानून प्रभावी नहीं रहा।¬

(पैरा 7)

*आयोजित,*अधिनियम की धारा 13 दत्तक माता-पिता के उनकी संपत्तियों के निपटान के अधिकार से संबंधित है। दत्तक पिता की अपने सभी आत्म-अर्जन को किसी भी तरह से या तो जीवित अंतरण द्वारा या वसीयतनामा स्वभाव द्वारा निपटाने की शक्ति पूर्ण है और इसे केवल गोद लेने के कार्य से दूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि दत्तक लेने वाला सहमत न हो कि वह ऐसा नहीं करेगा। संपत्ति को अलग करना. धारा द्वारा परिकल्पित संपत्ति वह संपत्ति है जिस पर दत्तक पिता या माता के पास निपटान की शक्ति निहित थी, न कि वह संपत्ति जिस पर दत्तक माता-पिता का ऐसा कोई अधिकार नहीं था।

(पैरा 7)

*श्री वी.के.जैन, अपर के न्यायालय के आदेश से नियमित द्वितीय अपील। जिला जज कमल दिनांक 8 सितम्बर,*1978 में श्री एसडी अरोड़ा, एचसीएस, सब जज द्वितीय श्रेणी कैथल की अदालत ने 16 सितंबर, 1974 को अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि पक्ष अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

*दावा: भूमि माप के आदान-प्रदान की घोषणा के लिए दावा*160 कनाइयाँ प्रभावित की गईं, - ग्राम जडौला के म्यूटेशन नंबर 1073 और 1074 और गाँव पहला के म्यूटेशन नंबर 156 और 157 के तहत बिना किसी आवश्यकता के उन्हें उनकी भूमि से वंचित करने के लिए प्रभाव डाला गया है, जो कि अच्छे प्रबंधन का कार्य नहीं है। , और यह कि ये नामांतरण कानून के विरुद्ध हैं और खेवट संख्या 89, खतौनी संख्या 98, किला संख्या 64/25 में शामिल भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद उसके प्रत्यावर्ती अधिकारों और पैतृक संपत्ति पर बाध्यकारी नहीं होंगे। , 65/9/1/2-14-15, 16-17/1/1, 17/2 किला नंबर 65/24/1, 25 माप 51 कनाई 4 मरला और किला नंबर 64/ का 1/3 हिस्सा 24 माप 10 मरला कुल मिलाकर 51 कनाई 14 मरला और, खेवट नंबर 69, खतौनी नंबर 98, किला नंबर 61/5/2, 5/3-6/1, 6-2, 15-16- में शामिल भूमि 62/1. 2-6-8-9-10-11-12-13-18/2-19-20. और खसरा नंबर 61/26 का 2/3 हिस्सा, गैर मुमकिन चाह 13 मरला और कुल 109 कनाई 13 मरला, गांव जड़ौला, तहसील कैथल में जमाबंदी 1966-67 के अनुसार स्थित है, जिसके लिए वादी का मुकदमा इस आशय की घोषणा कि दो एक्सचेंज, - उत्परिवर्तन संख्या 1073 और 1074 के तहत 11/12 की सीमा तक, शेयर 1 जो कि मुद्दा संख्या 3 के तहत पैतृक स्वामित्व साबित हुआ है, कानूनी आवश्यकता के बिना, अवैध, अप्रभावी है और के प्रत्यावर्ती अधिकार पर बाध्यकारी नहीं होगा

*पारसा की मृत्यु के बाद वादी को 16 सितंबर को श्री एसडी अरोड़ा, उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, कैथल द्वारा लागत सहित फैसला सुनाया गया है।*1974.

*अपील में दावा : आदेश को उलटने के लिए*निचली अपीलीय अदालत में।

वीके बाली. अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खेत्रपाल, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से आर.एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर.के. शर्मा, और नरोत्तम कौशल, अधिवक्ता।

प्रलय

जीआर मजीठिया, जे.

(1) वादी प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री के खिलाफ नियमित दूसरी अपील में आया है, जिसने ट्रायल कोर्ट की अपील को उलट दिया है और इस घोषणा के लिए उसके मुकदमे को खारिज कर दिया है कि विवाद में विनिमय अमान्य था।

तथ्य: -

(2) अपीलकर्ता/वादी ने दावा किया कि वह प्रतिवादी/प्रतिवादी नंबर 1 का दत्तक पुत्र था और गोद लेने का विलेख 8 जुलाई, 1969 को विधिवत पंजीकृत किया गया था। वाद की भूमि वादी के लिए पैतृक है और प्रतिवादी नंबर 1 की पार्टियां हैं। जाति और कृषि पर निर्भर हैं; कृषि प्रथा के अनुसार, पैतृक संपत्ति को कानूनी आवश्यकता के बिना या अच्छे प्रबंधन के कार्य के रूप में उचित ठहराए बिना बेचा या विनिमय नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम जंडौला स्थित भूमि का स्वामी था। भूमि का कुछ भाग नेहरी और दूसरा चाही था; प्रतिवादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के प्रभाव में था और उन्होंने प्रतिवादी पर दबाव डाला और उनके दबाव में उसने गांव जंडौला की राजस्व संपत्ति में स्थित अच्छी भूमि को प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के गांव में स्थित के साथ बदल दिया। पाबला जो जंडौला गांव से 2 मील दूर है और अधिकतर बरानी है; उत्परिवर्तन विनिमय 6 सितंबर, 1969 को प्रमाणित किया गया था; बदले में दी गई जमीन की कीमत रु. 1.25 लाख, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बदले में प्राप्त भूमि का मूल्य रुपये से अधिक नहीं किया जा सकता है। 20,000. वह विनिमय से बाध्य नहीं है क्योंकि यह न तो कानूनी आवश्यकता के लिए किया गया था और न ही अच्छे प्रबंधन का कार्य था।¬

(3) प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने मुकदमे का विरोध किया और प्रारंभिक आपत्ति ली कि मुकदमा कानून के तहत चलने योग्य नहीं था और¬

यह विनिमय अन्यथा वैध था। उन्होंने आगे दलील दी कि प्रतिवादी नंबर 1 के अपने पड़ोसी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और उसने अपने पड़ोसी से अपनी जान को खतरा होने के डर से प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की भूमि के साथ अपनी जमीन का आदान-प्रदान करना और वहां स्थानांतरित करना उचित समझा; इसलिए इस कारण से, विनिमय कानूनी आवश्यकता के लिए था और अच्छे प्रबंधन का कार्य भी था।

(4) पार्टियों की दलीलों पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

1. क्या वादी पारसा का दत्तक पुत्र है?
2. क्या मुकदमे में भूमि का आदान-प्रदान प्रतिफल, कानूनी आवश्यकता और अच्छे प्रबंधन के कार्य के लिए था?¬
3. क्या विवादग्रस्त भूमि वादी और परदेशियों के लिए पैतृक है?
4. क्या वादी और परदेशी रीति-रिवाज से शासित होते हैं? यदि हां, तो वह प्रथा क्या है?
5. जैसा कि आरोप लगाया गया है, क्या मुकदमा चलने योग्य नहीं है?
6. क्या वादी का अगला मित्र मुकदमा दायर करने के लिए उचित एवं उपयुक्त व्यक्ति नहीं है?
7. क्या मुकदमा षडयंत्रकारी है?
8. क्या सूट बेनामी है?
9. क्या वादपत्र में जैसा कि आरोप लगाया गया है, संशोधन की आवश्यकता है?
10. राहत।

(5) ट्रायल जज ने मुद्दे नंबर 1 और 5 को एक साथ निपटाया और माना कि वादी प्रतिवादी नंबर 1 का दत्तक पुत्र साबित हुआ और विनिमय के लेनदेन को चुनौती देने में सक्षम था; अंक संख्या 2 के तहत यह पाया गया कि प्रथा के तहत, पैतृक भूमि का आदान-प्रदान कानूनी आवश्यकता के बिना या अच्छे प्रबंधन के कार्य के बिना नहीं किया जा सकता है। अंक संख्या 6 से 9 तक को दबाया नहीं गया। मुद्दे संख्या 1, 2 और 5 के तहत निष्कर्षों के मद्देनजर, वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया।

(6) प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने प्रथम अपील में ट्रायल जज के फैसले और डिक्री को चुनौती दी। इसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दलीलों के संदर्भ में पाया गया कि यह दलील नहीं दी गई थी कि वादी का गोद लेना औपचारिक गोद लेना था या यह केवल प्रथागत कानून के तहत वारिस की नियुक्ति थी। इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया कि वादी का गोद लेना औपचारिक था और दत्तक पुत्र को दत्तक पिता के परिवार में प्रत्यारोपित किया गया था। विकल्प में, उन्होंने गोद लेने को हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी माना और माना कि इस अधिनियम के तहत भी, दत्तक पुत्र, दत्तक पिता द्वारा किए गए अलगाव को चुनौती नहीं दे सकता है। नतीजतन, उन्होंने ट्रायल जज के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया।

(7) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कायम नहीं रखा जा सकता। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, अधिनियम) 21 दिसंबर, 1956 को लागू हुआ। यह अधिनियम व्यक्तियों की व्यापक श्रेणियों पर लागू होता है और किसी भी व्यक्ति पर लागू

होता है जो अपने किसी भी रूप या विकास में धर्म से हिंदू है। जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी शामिल है। अधिनियम में उन व्यक्तियों का भी वर्णन किया गया है जो हिंदू हैं। अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में प्रदान किए गए मामलों के संबंध में, यह अधिनियम पहले से मौजूद किसी अन्य अधिनियम में इससे संबंधित किसी भी प्रावधान या किसी भी प्रथा की घटना के बावजूद प्रचलित है। हिंदू कानून जो पहले ऐसे मामलों को नियंत्रित करता था। इस धारा के कारण, अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले लागू हिंदू कानून के हिस्से के रूप में किसी भी प्रथा या प्रथा का किसी भी मामले के संबंध में प्रभाव समाप्त हो गया है जिसके लिए अध्याय आईटी में प्रावधान किया गया है, सिवाय इसके कि जो स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। अधिनियम में। इसका तात्पर्य यह है कि जिन मामलों के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में पुराना कानून ही लागू रहना चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, प्रथागत गोद लेने के लिए कोई जगह नहीं है। अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के आधार पर पुनियाब में गोद लेने का प्रथागत कानून प्रभावी नहीं रहा। करतार सिंह (नाबालिग) थ्रू गार्जियन बचन सिंह बनाम सुरजन सिंह (मृत) और अन्य, (1) मामले में, शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -¬

> “हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 लागू होने के बाद किसी भी प्रथागत गोद लेने के लिए कोई जगह नहीं है। अधिनियम की धारा 4 विशेष रूप से प्रदान करती है कि 'उस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू होने वाले हिंदू कानून या उस कानून के हिस्से के रूप में किसी भी रीति-रिवाज या उपयोग का कोई भी पाठ* नियम या व्याख्या प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

(1) एआईआर 1974 एससी 2161।

किसी भी मामले के संबंध में जिसके लिए उस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। इसलिए, किसी भी प्रथागत गोद लेने का सवाल, जैसा कि उस अधिनियम के लागू होने से पहले पंजाब में लागू था, अब नहीं उठता है।

अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किए गए दत्तक ग्रहण को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाना है। धारा 8 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अध्याय II (धारा 5 से 17) में निहित प्रावधानों के अलावा किसी भी हिंदू द्वारा कोई गोद नहीं लिया जाएगा, और कहा गया है कि कोई भी गोद लेने का उल्लंघन किया जाएगा। प्रावधान शून्य होंगे. अधिनियम की धारा 12 गोद लेने के प्रभावों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि गोद लेना गोद लेने की तारीख से प्रभावी होता है, और उस तारीख से गोद लिया गया बच्चा सभी उद्देश्यों के लिए अपने या दत्तक पिता या मां का बच्चा माना जाएगा और ऐसी तारीख से परिवार में बच्चे के सभी संबंध होंगे। उसके जन्म के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे अलग कर दिया गया है और उसके स्थान पर दत्तक परिवार में दत्तक ग्रहण द्वारा बनाए गए लोगों को जन्म दिया गया है। गोद लेने के पीछे का विचार यह है कि गोद लिए गए बच्चे को दत्तक परिवार में पैदा हुआ बच्चा माना जाना चाहिए, न कि उस परिवार में जिसमें वह वास्तव में पैदा हुआ था। यदि दत्तक पिता किसी सहदायिकी का सदस्य होता है और गोद लिया गया बच्चा पुरुष है, तो बच्चा भी उस सहदायिकी का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार, गोद लेने पर गोद लिए गए बच्चे का प्राकृतिक परिवार से दत्तक परिवार में प्रत्यारोपण होता है। अधिनियम की धारा 13 दत्तक माता-पिता के उनकी संपत्तियों के निपटान के अधिकार से संबंधित है। दत्तक पिता की अपने सभी आत्म-अर्जन को किसी भी तरह से या तो जीवित अंतरण द्वारा या वसीयतनामा स्वभाव द्वारा निपटाने की शक्ति पूर्ण है और इसे केवल गोद लेने के कार्य से नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि दत्तक लेने वाला सहमत न हो कि वह ऐसा नहीं करेगा। संपत्ति को अलग करना. धारा द्वारा परिकल्पित संपत्ति वह संपत्ति है जिस पर दत्तक

पिता या माता के पास निपटान की शक्ति निहित थी, न कि वह संपत्ति जिस पर दत्तक माता-पिता का ऐसा कोई अधिकार नहीं था। यदि संपत्ति ऐसी है जिसके निपटान की कोई पूर्ण शक्ति दत्तक माता-पिता के पास नहीं है, तो दत्तक पुत्र को हिंदू कानून के तहत इसे चुनौती देने का अधिकार है। ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि विवादित संपत्ति पैतृक थी। दत्तक पुत्र में इसे चुनौती देने की शक्ति होती है। निचली अपीलीय अदालत ने अपील का निपटारा केवल इस आधार पर किया है कि वादी के पास विनिमय को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इस निष्कर्ष को उनके द्वारा उलट दिए जाने के बाद, मेरे पास कानून और ऊपर की गई टिप्पणियों के अनुसार योग्यता के आधार पर अपील का फैसला करने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

(8) पूर्वोक्त कारणों से, आपकी अपील को खारिज कर दिया जाता है, प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और अपील पर शीघ्रता से गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय में भेज दिया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

एससीके

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर

न्यायिक प्रशिक्षु अधिकारी

हिसार, हरियाणा